भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1609

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

राज्यों द्वारा एनपीएस से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के दीर्घकालिक राजकोषीय निहितार्थ

1609. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में प्रत्यावर्तन के राज्यों के निर्णयों को नियंत्रित करने वाले विनियामक तंत्र का ब्यौरा क्या है और क्या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है या ये पूरी तरह से राज्य के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश सहित देश के कुछ राज्यों ने संचित एनपीएस निधि के पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और अंशदाताओं के सेवानिवृत्ति कोष की संरक्षा करने वाले वैधानिक उपबंधों के अधीन निकासी योग्य न होने के बावजूद ओपीएस में प्रत्यावर्तन का प्रयास किया है और यदि हां, तो संचित निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में सीएजी की उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ओपीएस में प्रत्यावर्तन से राज्य के बजट संकुचित हो रहे हैं और प्रतिबद्ध देनदारियां बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे राज्यों पर ओपीएस में प्रत्यावर्तन का अनुमानित राजकोषीय प्रभाव क्या है और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध तंत्र क्या है; और

(ड.) ओपीएस में प्रत्यावर्तन का पूंजीगत व्यय पर पड़ने वाले दबाव और दीर्घकालिक अंतर-पीढ़ीगत राजकोषीय देनदारी संबंधी चिंताओं को उजागर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 की धारा 12(4) में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अधिसूचना द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विस्तार कर सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन पूर्णतः राज्य के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत आते हैं।

(ख): राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में प्रत्यावर्तन (रिवर्सन) के संबंध में सरकार/पीएफआरडीए को सूचित किया है। दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार इन राज्यों के अंतर्गत अभिदाताओं के संचित एनपीएस कोष का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

राज्य का नाम	अभिदाताओं की संख्या	कुल अंशदान राशि (करोड़ रुपये में)	कुल प्रबंधनाधीन आस्ति (करोड़ रुपये में)
छत्तीसगढ़	2,87,859	12,359.95	22,762.93
हिमाचल प्रदेश	1,10,425	8,104.96	11,128.10
झारखंड	1,17,352	8,142.32	14,428.28
पंजाब	2,09,514	23,828.31	33,905.12
राजस्थान	5,19,800	28,364.67	51,434.26

(ग): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी हाल की राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्टों में कतिपय राज्यों द्वारा ओपीएस में प्रत्यावर्तन (रिवर्सन) के राजकोषीय निहितार्थों पर प्रकाश डाला है। इन रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि ओपीएस, एक गैर-वित्तपोषित सुनिश्चित लाभ पेंशन योजना होने के कारण, मध्यम से लंबी अवधि में प्रतिबद्ध राजकोषीय देनदारियों में वृद्धि कर सकता है जिससे राज्य स्तरीय राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्यों की महत्ता को कम होने का खतरा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की "राज्य वित्त: 2022-23 के बजट का अध्ययन" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, ओपीएस में प्रत्यावर्तन से राजकोषीय संसाधनों में होने वाली वार्षिक बचत अल्पकालिक होती है। वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके, राज्य आने वाले वर्षों में गैर-वित्तपोषित पेंशन देनदारियों के संचयन का जोखिम उठाते हैं।

(घ): आरबीआई बुलेटिन (सितंबर, 2023) में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, हालांकि ओपीएस में प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप अल्पावधि में पेंशन व्यय में कमी आ सकती है, इससे दीर्घावधि में गैर-वित्तपोषित पेंशन देनदारियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ओपीएस में प्रत्यावर्तन पर पेंशन का बोझ 2030 तक एनपीएस अंशदान से अधिक होने का अनुमान है, जिससे राजकोषीय धारणीयता के लिए जोखिम उत्पन्न होगा। इसके अलावा, सभी राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियमों को अधिनियमित किया है तथा संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा एफबीआरएम अधिनियमों के अनुपालन की निगरानी की जाती है।

(ङ): सरकार/पीएफआरडीए ने राज्यों को संबोधित करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला है कि गैर-वित्तपोषित ओपीएस से, विशेषकर बढ़ती उम्र के कारण उनकी वित्तीय स्थिति पर गंभीर दबाव पड़ने की संभावना है, जिससे ऐसे राज्यों द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय में बाधा आ सकती है और दीर्घकालिक पीढ़ीगत राजकोषीय देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं।

*****